

तारीख हुक्म

7/7/21

पुनर्जाती के अन्तर्गत खेत पर मजदूरों
 का अधिकार था कि वे 10/4/21
 0-7-21 का धारा 17 के अन्तर्गत
 खेत पर मजदूरों के अधिकारों को
 सुरक्षित रखें ताकि वे 10/4/21
 के अन्तर्गत कार्य कर सकें।
 नतीजा यह कि 10/4/21 के
 अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों
 को 10/4/21 के अन्तर्गत कार्य
 करने का अधिकार है।